"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2004—चैत्र 20, शक 1926

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आर. पी. अहिरवार आत्मज श्री सुतुलाल अहिरवार निवासी क्वा. नं. 5-बी, सड़क-40, सेक्टर-5, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)का हूं जो कि मैं अपने पुत्र वंश कुमार का नाम परिवर्तन कर वरूण कुमार सिंह कर दिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र दे दिया हूं अतः भविष्य में मेरे पुत्र को वरूण कुमार सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
वंश कुमार
आत्मज-आर. पी. अहिरवार
निवासी क्वा. नं. 5-बी, सड़क-40
सेक्टर-5, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
वरूण कुमार सिंह
आत्मज-आर. पी. अहिरवार
निवासी क्वा. नं. 5-बी, सड़क-40
सेक्टर-5, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आर. पी. अहिरवार आत्मज श्री सुतुलाल अहिरवार निवासी क्वा. नं. 5-बी, सड़क-40, सेक्टर-5, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं जो कि मैं अपने पुत्र यश कुमार का नाम परिवर्तन कर रचित कुमार सिंह कर दिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र दे दिया हूं. अत: भविष्य में मेरे पुत्र को रचित कुमार सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
यश कुमार	रचित कुमार सिंह
आत्मज-आर. पी. अहिरवार	आत्मज-आर. पी. अहिरवार
निवासी क्वा. नं. 5-बी, सड़क-40	क्वा. नं. 5-बी, सड़क-40
सेक्टर-5, भिलाई नगर	-5, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, राजनांदगांव

[धारा 5 (1) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951, नियम (1) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1957]

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2003

समक्ष :—पंजीयक सार्वजनिक न्यास, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव.

क्रमांक 2563/प्र-1/03.—इस न्यायालय में श्री मनमोहनसिंह सिसोदिया, महासचिव श्री शिवोम तीर्थ कुण्डलिनी महायोग आश्रय ट्रस्ट, ग्राम गठुला, तहसील व जिला राजनांदगांव द्वारा म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (30 सन् 1951) की धारा 4 के अंतर्गत श्री शिवोम तीर्थ कुण्डलिनी महायोग आश्रम ट्रस्ट ग्राम गठुला के लोक न्यास हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. लोक न्यास सूचना के रूप में दिया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 10-12-2003 से विचाराधीन है.

ऐसा कोई व्यक्ति उक्त न्यास में रुचि रखता हो या किसी प्रकार से आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर लिखित आपत्ति दो प्रतियों में तैयार कर उपरोक्त दिनांक को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. बाद में प्राप्त होने वाले आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(सार्वजनिक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता - श्री शिवोम तीर्थ कुण्डलिनी महायोग आश्रम ट्रस्ट ग्राम गठुला तहसील व जिला राजनांदगांव

चल सम्पत्ति - पंजाब नेशनल बैंक, रायपुर, खाता क्रमांक 20717 में 1,21,000/- रु. (एक लाख इक्कीस हजार रुपये मात्र).

अचल संपत्ति का विवरण :—ग्राम गडुला में 2.07 एकड़ भूमि जो श्री उत्तमसिंह सिसोदिया एवं श्रीमती अश्लेखा सिसोदिया निवासी रायपुर द्वारा दान में दी गई.

आर. आर. ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी एंव पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.